कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 1478/2020 खुशबू चौधरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.02.2020 में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थिया ने अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 विषय विज्ञान में वरीयता क्रमांक 92 पर चयनोपरान्त विभाग द्वारा याचिकार्थिया को विकल्प पत्र में प्राथमिकता पर अंकित अजमेर, जयपुर, कोटा, जोधपुर मण्डल आवंटित न कर अन्य मण्डल आवंटित किया गया, जबकि याचिकार्थिया के गृह मण्डल में वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के पद रिक्त है। याचिकार्थिया के कथनानुसार उससे निम्न वरीयता क्रमांक के अभ्यर्थियों को गृह मण्डल अथवा निकटतम मण्डल आवंटित किया गया है। अतः याचिकार्थिया ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर गृह मण्डल आवंटित करने की मांग की है।

याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.02.2020 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती वर्ष 2016 में चयनित एवं आयोग द्वारा अभिस्तावित अभ्यर्थियों के मण्डल आवंटन बाबत् राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश दिनांक 04.03.2018 के अनुसार "निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा संभागवार विज्ञापित पदों की संख्या के बराबर अभ्यर्थी उस संभाग को आवंटित किए जाएंगे। वरिष्ठ अध्यापक की संबंधित विषय की रिक्तियों (आरक्षण सहित) की गणना संभागवार ही की जाती है अतः संभाग के वर्गवार (सामान्य/आरक्षित श्रेणियों यथा महिला/एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक/विधवा– परित्यक्ता इत्यादि) विज्ञापित पदों की संख्या के अनुरूप वर्गवार मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा दी गई संभाग की प्राथमिकता के अनुसार संभाग आवंटित किया जावेगा", के निर्देश दिए गए थे, जिसके अनुसार ही मण्डल आवंटन किया गया।

याचिकार्थिया का आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 विषय विज्ञान में चयन वर्ग OBCF (अन्य पिछड़ा वर्ग महिला) वरीयता क्रमांक 93 पर चयन किया जाना पाया गया। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती वर्ष 2016 विज्ञान विषय में याचिकार्थिया के चयन वर्ग OBCF (अन्य पिछड़ा वर्ग महिला) में केवल जोधपुर एवं उदयपुर मण्डल में ही पद विज्ञापित किये गये थे तथा शेष 07 मण्डलों (जयपुर, चूरू, बीकानेर, अजमेर, कोटा, भरतपुर व पाली) में कोई भी पद विज्ञापित नहीं होने के कारण याचिकार्थिया के चयन वर्ग OBCF (अन्य पिछड़ा वर्ग महिला) में किसी भी अभ्यर्थी को उक्त 07 मण्डलों में से किसी भी मण्डल में नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है। अतः शासन के दिशा–निर्देश एवं विभागीय नीति के अनुसार ही याचिकार्थिया को विकल्प पत्र में चौथी प्राथमिकता पर अंकित जोधपुर मण्डल आवंटित किया गया।

याचिकार्थिया द्वारा स्वयं से निम्न वरीयता क्रमांक के अभ्यर्थियों को गृह मण्डल अथवा निकटतम मण्डल आवंटित किए जाने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि याचिकार्थिया का चयन वर्ग OBCF (अन्य पिछड़ा वर्ग महिला) में याचिकार्थिया से कनिष्ठ किसी भी अभ्यर्थी को याचिकार्थिया को आवंटित जोधपुर मण्डल से पूर्व उसके विकल्प पत्र में अंकित मण्डल नियुक्ति हेतु आवंटित नहीं किया गया है।

याचिकार्थिया द्वारा गृह मण्डल में वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के पद रिक्त होने के आधार पर आवंटन की मांग के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक का पद मण्डल स्तर का है, जिसका नियुक्ति अधिकारी संबंधित मण्डल का संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) (पूर्व में उप निदेशक) है। अतः संयुक्त निदेशक (समस्त सम्भाग) रोस्टर के आधार पर वर्गवार आरक्षण के अनुसार अर्थना तैयार कर विभाग को प्रेषित करता है। विभाग सभी मण्डलों से वर्गवार प्राप्त अर्थना को संकलित कर वर्गवार योग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु अर्थना आयोग को प्रेषित करता है। आयोग परीक्षा का आयोजन कर अर्थना में प्रदर्शित वर्गवार अभ्यर्थियों का चयन कर चयन वर्गवार अभिस्तावना विभाग को नियुक्ति हेतु प्रेषित करता है। आयोग से चयन वर्गवार अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु प्राप्त अभिस्तावना के अनुसार विभाग द्वारा मण्डल आवंटन की कार्यवाही आयोग को प्रेषित मण्डलवार वर्गवार अर्थना की सीमा तक की जाती है। जिस मण्डल में वर्गवार जितने पद विज्ञापित किये जाते है, उतने ही अभ्यर्थी वर्ग एवं चयन वर्गवार नियुक्ति हेतु आवंटित किये जाते है। अतः मण्डल आवंटन के समय अथवा वर्तमान में किसी मण्डल या जिले में रिक्त पद के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा पदस्थापन की मांग औचित्यपूर्ण नहीं है।

अतः याचिकार्थिया द्वारा जोधपुर मण्डल के स्थान पर गृह मण्डल आवंटित कर वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के पद पर पदस्थापित करने की मांग उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नीति के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाये जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर अभ्यावेदन खारिज किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा./संस्था/एफ–2/को.के./जोध/12836/2020 दिनांकः– 25/06/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग, जोधपुर
2. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा को पत्रांक शिविरा/माध्य/विधि/बी–2/जोध/28841/ए/20 के क्रम में।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
5. याचिकार्थिया खुशबू चौधरी पुत्री महेन्द्र कुमार चौधरी, निवासी गांव एवं पोस्ट बाघेरा, जिला–अजमेर (रजिस्टर्ड)
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)